सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 61/2018

शंभू दयाल पुत्र घीस्या जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
...प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार तहसील लवाणा जिला दौसा श्री शरद तिवाडी
2 कल्ली देवी पुत्री घीस्या पत्नी प्रहलाद जाति जांगिड निवासी सोनड तहसील लालसोट जिला दौसा
3. शांति देवी पुत्री घीस्या पत्नी प्रहलाद जाति जांगिड निवासी चुडियावास तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
4. कमली पुत्री घीस्या पत्नी रामकिशोर जाति जांगिड निवासी गढोली तहसील बस्सी जिला जयपुर
5. गीता देवी पुत्री घीस्या पत्नी बाबूलाल जांगिड निवासी गढोली तहसील बस्सी जिला जयपुर
6. सीताराम पुत्र घीस्या जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
7. राधाकिशन पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
8. संजय कुमार पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
9. शंकर लाल पुत्र जगदीश जाति खाती (जांगिड) निवासी प्यारीवास तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
10. ग्राम पंचायत प्यारीवास तहसील दौसा हाल तहसील नॉगलराजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच
..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री लक्ष्मीकांत शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 की ओर से
3. श्री जितेंद्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 6 लगायत 9 की ओर से

निर्णय

दि0 04.04.2018

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि तहसीलदार लवाण के यहां प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उनवानी कल्ली बनाम शंभू मु0नं0 30/15, 31/15 व 32/15 निर्णय दिनांक 22.07.2015 उप जिला कलेक्टर, नॉगल राजावतान की पालना मे मुकदमा नंबर 14/15

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विचाराधीन है । प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि प्रार्थी द्वारा उप जिला कलेक्टर नॉगल राजावतान द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 के विरुद्ध अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील पेश की गई जहॉ से उक्त अपील खारिज हो गयी। प्रार्थी ने उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के यहॉ निगरानी पेश की गई जो जैरकार है तथा स्थगन की बहस हेतु पत्रावली नियत है। उप जिला कलेक्टर नॉगलराजावतान के फैसले दिनांक 22.07.2015 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी विचाराधीन होने के बावजूद तहसीलदार लवाण मिलीभगत करके उक्त रिमाण्ड पत्रावली पर कार्यवाही कर रहे है, जो कानूनन गलत है। अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 व 6 लगायत 9 आपस में मिले हुए है ये आपस में मिलीभगत करके प्रार्थी को नुकसान पहुॅचाने पर आमादा है। तहसीलदार जी ने बिना प्रार्थी को सुने व बिना प्रार्थी को नोटिस जारी किये बिना उक्त लोगों के बयान रिकॉर्ड करना चालू कर दिया गया जबकि नामान्तरकरण प्रार्थी व अप्रार्थी 2 लगायत 9 के बीच विवादित है। ऐसी स्थिति में बिना प्रार्थी को सुने बिना कोई भी आदेश पारित करना नियम विरुद्ध है। तहसीलदार जी ने ऐलानियॉ कह दिया कि मै तो इनके आज ही बयान लूॅगा और इनके पक्ष में ही फैसला करुॅगा। इसलिए प्रार्थी को तहसीलदार जी लवाण से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण किसी अन्य तहसीलदार को स्थानान्तरित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि उप जिला कलेक्टर, नॉगल राजावतान के फैसले की पालना में विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रार्थी बेवजह हैरान व परेशान करने की गरज से स्थानान्तरण प्रा0 पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। माननीय न्यायालय तहसीलदार लवाण, द्वारा नियमानुसार साक्ष्य एवं सुनवाई की जाकर ही विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी तहसीलदार नॉगल राजावतान के यहॉ विचाराधीन प्रकरण में स्थानांतरण प्रा0 पत्र पेश किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रा0 पत्र स्थानांतरण निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं तहसीलदार लवाण की रिपोर्ट दिनांक 23.03.2018 का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद उप जिला कलेक्टर, नॉगलराजवतान के निर्णय के विरुद्ध माननीय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा रिमाण्ड करने पर तहसीलदार लवाण द्वारा निर्णय की पालना में कार्यवाही प्रारंभ की गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में कई बिन्दु उठाये गये है। जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित न होकर विचाराधीन वाद की मेरिट से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/ सबूत पेश नही किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार लवाण द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी को समुचित अवसर दिया जाकर सुना जाना अंकित कर पक्षकारान की तलबी की समस्त तारीखें तक अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार लवाण द्वारा प्रकरण में नियमोचित कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार लवाण पर लगाये गये आरोप

प्रमाणित नहीं होते है। प्रा0 पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है। जो चलने योग्य नही है। प्रा0 पत्र स्थानान्तरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार लवाण को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 अप्रेल, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official